

प्रशासन गौनों के लिये अधिसूचना 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आ/20एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

श्रीमान, पार्षद द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र, आधार कार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एम्प्लॉयमेंट के आधार पर पार्षद का नाम मूलचन्द पुत्र रामेश्वर के द्वारा पर मूलचन्द पुत्र रामेश्वर लाहरी के नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडगाँवडी

दिनांक :- 23/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडगाँवडी (राज.)

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अधिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

1530
 23/11/2021

उक्त पत्र उचित है।

23/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडगाँवडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला बुन्दुनू (राज.)

--: आदेश :-

दिनांक :- 23/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौरख	2075-78	607	मूलचन्द पुत्र रामेश्वर	मूलचन्द पुत्र रामेश्वर लाहरी

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1209-1210
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी को वास्तो पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी